न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 279/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र उदाराम जाट, जाति जाट, निवासी बीरमी, जिला झुंझुनूं।
2. (मृतक) किरोडीमल पुत्र रामेश्वर जाट जाति जाट, निवासी बीरमी जिला झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

थाना बिसाउ पर दर्ज अ0स0 48/2021 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे जप्तशुदा माल वजह सबूत को ई0सी0 एक्ट की धारा 6ए के तहत निस्तारण के संबंध मे।

—

उपस्थितः–

1. श्री रामावतार, प्रर्वतन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही।

आदेश

दिनांक 27.06.2022

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2002 को वक्त 08.15 एएम पर वृताधिकारी डा. भूपेन्द्र सिंह यादव आरपीएस को जरिए टेलीफोन मुखबीर खास ने सूचना दी की ग्राम बीरमी बस स्टेण्ड पर स्थित चौधरी होटल और उसका मालिक रामेश्वर लाल पुत्र उदाराम जाट निवासी बीरमी अपने लडके किरोडीमल के साथ अपनी होटल की आड में अवैध पेट्रोल भारी रकम लेकर बेच रहा है। इतला मौखिक होने से तस्दीक की जाने हेतु रसद विभाग के प्रर्वतन निरीक्षक श्री सुभाष चौधरी को इतला मुखबीर से सूचित कर तलब किया गया व इतला कि पूर्व तस्दीक हेतु आरक्षी श्री हरिकिशन नम्बर 609 को सादा वर्दी में एक सौ रूपये का नोट नम्बर 3VV738882 का मुझ सीओ के हस्ताक्षरयुक्त व नम्बर 10802 अंकित कर एक पांच लीटर की हरे रंग की प्लास्टिक पीपी जिस पर CASTROL लिखा है दी जाकर दो लीटर पैट्रोल की खरीद करने हेतु रवाना किया गया तत्पश्चात श्री सुभाष चौधरी प्रर्वतन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के आने पर वक्त 9:15 एएम पर मन सीओ मय श्री सुभाष चौधरी प्रर्वतन निरीक्षक, गुलझारी लाल कानि0 650 सत्यवीर सिंह कानि0 599 कृष्णदेव सिह कानि0 237 जरिए सरकारी जीप्सी नम्बर आरजे 18 सी 2987 चालक दयानन्द गाडी रोककर खडा हो मामुरा मुखबीर का इन्तजार करने लगा वक्त 10:05 एएम पर मामुरा मुखबीर अपने बाएें हाथ में 5 लीटर की पीपी लिए हुए होटल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिस[illegible] हाथ [illegible] मुझे सीओ को शीघ्र आने का संदेश दिया। इस पर मन सीओ हमराहीयान के रवाना [illegible] इतला मुखबीर चौधरी होटल के आहते में पहुंचा जहां पर दो शख्स बावर्दी पुलिस जाप्ता व [illegible] को देखकर वहां से खिसकने लगे जिनको हमराही जाप्ता की मदद से रोका जाकर [illegible] तो एक ने अपना [illegible] पुत्र उदाराम जाट उम्र 53 साल निवासी बीरमी [illegible] अपना नाम किरोडीमल पु[illegible]र जाट निवासी बीरमी का होना बताया। उक्त किरोडीमल ने पेशाब [illegible] बहाना कर अपने होट[illegible] आहते की दीवार फांदकर लुट्टु जाने वाले रास्ते से गांव की तरफ भाग गया जिसको हमराही जाप्ता की मदद से पकडने का प्रयास किया मगर तंग व उबड खाबड रास्ता होने से वह भागने में सफल हो गया इस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:43 IST
Reason: SelfAttested

पुनः होटल पर आकर श्री रामेश्वर लाल को उदला मुखबीर से अवगत कराया जाकर उसके होटल की छप्पर तलाशी ली गयी तो छप्पर में दो ड्रम 200 लीटर जिस पर एक पर तेल निकालने की हाथ मशीन लगी हुई है। एक ड्रम पर **CASTROL** तथा दूसरे पर **SERVO** लिखा हुआ है। **CASTROL** लिखे ड्रम में करीब 20 लीटर डीजल तेल है जिसमें उपर तेल निकालने की हाथ मशीन लगी है। तथा **SERVPO** लिखा ड्रम खाली है तथा पास में ही 30 लीटर का प्लास्टीक का जरीकन बरंग हरा जिस पर **CASTROL** लिखा है तथा लाल रंग का ढक्कन लगा हुआ है। उक्त जरिकेन का ढक्कन खोलकर देखा गया तो अन्दर करीब 6 लीटर पैट्रोल तेल डाला हुआ है। उक्त ड्रम व जरीकन में डाले गये पदार्थ को मन सीओ द्वारा व प्रर्वतन निरीक्षक तथा हमराही जाब्ता को सुंघाया व सुंघा तो उक्त ड्रम में डीजल व जरीकेन में पैट्रोल की बदबू आ रही है तथा पास में ही एक प्लास्टिक का जरीकन बैरंग काला खाली तथा एक जरीकन 20 लीटर प्लास्टिक के बरंग काला खाली, एक 20 लीटर लोहे का खाली जरीकन तथा एक 30 लीटर प्लास्टिक का जरीकेन रंग हरा खाली तथा एक 10 लीटर व 5 लीटर व एक 1 लीटर माप लोहे के बर्तन तथा एक कीमा लोहे का जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है। एक प्लास्टिक का कीमा बिना पाइप का मिला तथा मामूरा मुखबीर श्री हरिकिशन कांस्टेबल नंबर 609 को दी गई 5 लीटर की पीपी बरंग हरा जिस पर **CASTROL** लिखा हुआ है को पेश कर बताया कि मैंने पीपी में रामेश्वर से 2 लीटर पैट्रोल 100 रूपये देकर 80 रूपये में खरीदा हैं वहा मौजुदा रामेश्वर के दाहिने हाथ में दो कागज की टोपी पुरानी इस्तेमाली लिए हुए है। जो ली जाकर देखा गया तो दोनो कापियों में पेट्रोल और डीजल की व शराब के पाउचो की बिक्री का हिसाब लिखा हुआ है। शख्स रामेश्वर से शराब के बारे में पूछा गया तो चुप्पी साध अपनी गर्दन झुका दी इस पर शक होने पर होटल के दूसरे छप्पर की तलाशी ली गई तो छप्पर में एक कोने में एक सफेद पॉलिथीन की बडी थैली जिसने पाउच सादा देसी मदिरा 200 एम एल के भरे हुए है। जिनको निकालकर गिनती की गई तो कुल 90 पाउच मिले जिन पर सभी पर देसी मदिरा 400 **UP** मदिरालय अजमेर लिखा हुआ है तथा एक गत्ते का कार्टुन जिसमें 3 बोतल प्लास्टिक 750 एमएल ऑफिसर चॉइस की जिस पर **FOR SALE IN HARYANA ONLY** लिखा हुआ है तीन बोतल कांच की 75 एमएल बैगपाइपर व्हिस्की एक बोतल कांच की 750 एमएल ग्रीन लेबन व्हिस्की जिस पर **FOR SALE IN HARYANA ONLY** लिखा है। एक बोतल कांच की जिसके ढक्कन पर राजस्थान आबकारी लिखा है तथा एक गते का कार्टून जिसमें 10 बोतल 650 **M. L. TURBO SUPER STRONG BEER** तथा **FOR SALE IN HARYANA STATE ONLY** लिखा है। उक्त शराब पर कंपनी द्वारा पैकिंग की हुई है रामेश्वरलाल को अपने कब्जे मे मिले उक्त पेट्रोल डीजल तेल जैसे ज्वलनशील पदार्थ व अंग्रेजी शराब तथा देशी शराब व बीयर को अपने कब्जे में रखने का लाइसेंस पूछा गया तो अपने पास कोई लाइसेस नही होना बताया शख्स बनवारीलाल व किशोरी लाल द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पेट्रोल–डीजल जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ अंग्रेजी शराब देशी शराब व बीयर को अपने कब्जे में रखकर बिक्री करना जुर्म धारा 3/7 इसी एक्ट व 19/54 आबकारी अधिनियम के खिलाफ वर्जी पाया जाने पर उक्त कब्जे में मिली पेट्रोल डीजल व अवैध शराब व अन्य तेल के उपकरणो को कब्जा पुलिस में लिया जाकर **CASTROL** लिखे ड्रम में से एक पव्वा डीजल बतौर नमुना सैंपल लिया जाकर सील मुहर कर मार्क ए तथा ड्रम पर मार्क ए 1 अंकित किया गया। 30 लीटर प्लास्टिक हरे रंग के जरिकन में से एक पव्वा पैट्रोल बतौर नमूना सैपल लिया जाकर शिल्ड मुहर कर सैपल पर मार्क बी व जरीकन पर मार्ग बी 1 अंकित किया गया तथा मुखबिर द्वारा 5 लीटर की पीपी बरंग हरा जिसमें 2 लीटर पैट्रोल में से [illegible] बतौर नमूना सैपल शील्ड मोहरकर पवा पर मार्क सी तथा पीपी पर मार्क सी 1 अंकित [illegible] गया [illegible] प्लास्टिक की थैली में मिली 90 पाउच में से पांच पाउच बतौर नमूना सैपल [illegible] प्लास्टिक के [illegible] डालकर शील्ड मुहर कर मार्क डी अंकित किया गया तथा 85 पाउच में [illegible] एक प्लास्टिक के कटटे में डालकर मार्क डी 1 अंकित किया गया [illegible] मिली शराब की बोतलों से बतौर नमूना सैपल एक बैकपाईपर सील मोहर कर मार्क ई तथा एक बोतल ऑफिसर च्वाईस को सीलमोहर कर मार्क एफ, बोतल ग्रीन लेबल सील्ड मोहर मार्क जी अंकित किया गया कार्टूनो में बची शेष अंग्रेजी दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

बोतल बैगपाइपर दो बोतल ऑफिसर चॉइस व एक बोतल 8 पीएम व एक बोतल देसी मदिरा को उसी कार्टून में डालकर शील्ड मोहरकर मार्क जी 1 अंकित किया गया तथा गत्ते के कार्टून में मिली 10 बोतल बीयर को उसी कार्टून सील मोहरकर मार्क एच अंकित किया गया शेष तेल बेचने के उपकरण खाली जरीकन व ड्रम व दो हिसाब की कोपियों को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया अभियुक्त रामेश्वर की जामा तलाशी जरिए कांस्टेबल श्री सत्यवीर सिह 559 के द्वारा लिवाई गई कुर्ता की अन्दर की जेब में कुल 195 रूपये मिले जिनमे से 100 का नोट मुझ सीओ के हस्ताक्षर युक्त एवं अंकित नंबर जो पैट्रोल की खरीद की रकम होने के कारण बतौर बजह सबूत एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर शील्ड मोहर कर मार्क आई अंकित किया गया शेष 95 रूपये जामा तलाशी रखा है। अभियुक्त रामेश्वर को जरिए फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। यह कार्यवाही के दौरान मौके पर स्वतंत्र गवाह उपस्थित नही होने के कारण हमराही जाप्ता व प्रवर्तन निरीक्षक को रखा गया नमुना सीन फर्द पर अंकित की गई व वापसी थाना पर प्रकरण संख्या 73/02 धारा 3/7 इसी एक्ट व 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम में दर्ज करवाया गया जिसमें बाद अनुसंधान मुलजिम रामेश्वर पुत्र उदाराम जाट उम्र 53 साल निवासी बीरमी तथा किरोडीमल पुत्र रामेश्वर जाट निवासी बिरमी के विरूद्ध चालान पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2019 को प्रकरण फैसला किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत के निस्तारण के आदेश फरमाये गये प्रकरण में दिनांक 27.11. 2019 को आबकारी आईटमो का निस्तारण आबकारी विभाग द्वारा करवाया जा चुका है। उक्त ड्रमों के रख रखाव हेतु थाना उप उचित व्यवस्था नही है। जप्तशुदा सामान अत्यधीक ज्वलनशील पदार्थ है। उक्त ड्रम में जंग लगने व प्लास्टिक पुराने होकर गलने के कारण ड्रमो के टूट फूट होंने की पुर्ण आशंका है जिसके कारण हादसा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में जप्तशुदा, पैट्रोल डीजल तेल का निस्तारण करवाये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी सं0 2 की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से अवैध पेट्रोल व डीजल मय ड्रमों व बेचने के उपकरणों के जप्त किया गये है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स पेट्रोल व डीजल के विक्रय बाबत नही था। उक्त पेट्रोल व डीजल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा 6 लीटर पैट्रोल, 20 लीटर डीजल, दो ड्रम क्षमता 200 लीटर, एक तेल निकालने की हाथ मशीन, 30 लीटर का प्लास्टीक का जरीकन बरंग हरा, एक प्लास्टिक का जरीकन बैरंग काला खाली तथा एक जरीकन 20 लीटर प्लास्टिक के बरंग काला खाली, एक 20 लीटर लोहे का खाली जरीकन तथा एक 30 लीटर प्लास्टिक का जरीकेन रंग हरा खाली तथा एक 10 लीटर व 5 लीटर व एक 1 लीटर माप लोहे के बर्तन तथा एक कीमा लोहे का जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है एक प्लास्टिक का कीमा बिना पाइप मुखबीर श्री हरिकिशन कांस्टेबल नंबर 609 को दी गई 1 लीटर की पीपी बरंग हरा के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:43 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण मे पेट्रोल व डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस पेट्रोल व डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये 6 लीटर

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पैट्रोल, 20 लीटर डीजल, दो ड्रम क्षमता 200 लीटर, एक तेल निकालने की हाथ मशीन, 30 लीटर का प्लास्टीक का जरीकन बरंग हरा, एक प्लास्टिक का जरीकन बैरंग काला खाली तथा एक जरीकन 20 लीटर प्लास्टिक के बरंग काला खाली, एक 20 लीटर लोहे का खाली जरीकन तथा एक 30 लीटर प्लास्टिक का जरीकेन रंग हरा खाली तथा एक 10 लीटर व 5 लीटर व एक 1 लीटर माप लोहे के बर्तन तथा एक कीमा लोहे का जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है, एक प्लास्टिक का कीमा बिना पाइप मुखबीर श्री हरिकिशन कांस्टेबल नंबर 609 को दी गई 5 लीटर की पीपी बरंग हरा को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 6 लीटर पैट्रोल, 20 लीटर डीजल, दो ड्रम क्षमता 200 लीटर, एक तेल निकालने की हाथ मशीन, 30 लीटर का प्लास्टीक का जरीकन बरंग हरा, एक प्लास्टिक का जरीकन बैरंग काला खाली तथा एक जरीकन 20 लीटर प्लास्टिक के बरंग काला खाली, एक 20 लीटर लोहे का खाली जरीकन तथा एक 30 लीटर प्लास्टिक का जरीकेन रंग हरा खाली तथा एक 10 लीटर व 5 लीटर व एक 1 लीटर माप लोहे के बर्तन तथा एक कीमा लोहे का जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है, एक प्लास्टिक का कीमा बिना पाइप मुखबीर श्री हरिकिशन कांस्टेबल नंबर 609 को दी गई 5 लीटर की पीपी बरंग हरा का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:43 IST
Reason: SelfAttested